



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 24 सितम्बर, 2025 / 02 आश्विन, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नि०-II)

अधिसूचना

शिमला 171002, 20 सितम्बर, 2025

सं० पर (एपी-बी)ए(3)-2/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं० पर (एपी-बी)ए(3)-2/2024, तारीख 01 मार्च 2024 136-राजपत्र / 2025-24-09-2025 (6157)

द्वारा जारी और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 5 मार्च, 2024 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के प्रक्रिया और संचालन नियम, 2024 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1 | <p>(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (प्रक्रिया और संचालन) (प्रथम संशोधन) नियम, 2025 है ।</p> <p>(ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।</p> |
| संक्षिप्त नाम का संशोधन | 2 | <p>(i) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के प्रक्रिया और संचालन नियम, 2024 में, जिन्हें इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित किया गया है:-</p> <p>(i) वर्तमान में विद्यमान संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p> |
| नियम 2 का संशोधन | 3 | <p>(i) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 2 के खण्ड (ii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-</p> <p>"सचिव" से समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का सचिव अभिप्रेत है ।</p> <p>(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 2 के खण्ड (v) को विलोप कर दिया जाएगा तथा विद्यमान खण्डों (vi) से (xxiv) की संशोधित संख्या (v) से (xxiii) होगी ।</p> <p>(iii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 2 के खण्ड (viii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-</p> <p>"परीक्षा नियंत्रक" से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का सचिव और अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक का अर्थ सहायक नियंत्रक/अनुभाग अधिकारी अभिप्रेत है ।</p> <p>(iv) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 2 के खण्ड (ix) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-</p> <p>"आहरण एवं संवितरण अधिकारी" से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से बिल निकालने और भुगतान करने के लिए विभाग के विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख और संयुक्त नियंत्रक (हि0 प्र0 वित्त व लेखा सेवाएं), जो इसलिए नियुक्त किया गया, अभिप्रेत है ।</p> |

- (v) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 2 के खण्ड (xiv) के उपरान्त नया खण्ड (xiv-a) रखा जाएगा:-

"कार्यालय प्रमुख" से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का सचिव अभिप्रेत है ।

- (vi) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 2 के खण्ड (xviii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

"अधिकारी" से आयोग के सचिव, उप सचिव, संयुक्त नियंत्रक, अवर सचिव, जिला अटॉर्नी/उप जिला अटॉर्नी, विधि अधिकारी, उप निदेशक (आईटी), सहायक रजिस्ट्रार, अनुभाग अधिकारी, अधीक्षक ग्रेड— I, प्रोग्रामर आदि अभिप्रेत है।

- (vii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 2 के खण्ड (xxii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

"संबंधीनता प्रमाणपत्र" प्राप्त करने के लिए "रिश्तेदार" का अर्थ है रक्त संबंध और वैवाहिक संबंधों में करीबी रिश्तेदार और इसमें माता-पिता (पति/पत्नी के माता-पिता सहित); पति/पत्नी; बच्चे (दत्तक या सौतेले बच्चों सहित) और उनके पति/पत्नी; भाई-बहन (दत्तक या सौतेले भाई-बहन सहित), उनके पति/पत्नी, और बच्चे और उनके पति/पत्नी; देवर और भाभी, उनके पति/पत्नी, और बच्चे और उनके पति/पत्नी; प्रथम चाचा-चाची (पति/पत्नी सहित), उनके पति/पत्नी, तथा बच्चे और उनके पति/पत्नी, यदि कोई हों, अभिप्रेत है।

नियम 3 का 4 (i) संशोधन

- हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 3 के खण्ड (ii) के उपरान्त नया परन्तुक रखा जाएगा:-

परन्तु यह कि यदि पुनर्विचार हेतु लिया गया निर्णय अगली बैठक में अनुमोदित हो जाता है, तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा।

- (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 3 के खण्ड (v) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

बैठकों का एजेंडा सचिव द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में सहायक रजिस्ट्रार/अनुभाग अधिकारी से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया जाएगा और अध्यक्ष और सदस्य (ओं) को उनके द्वारा अध्ययन के लिए, अध्यक्ष की पूर्वानुमति के साथ कम से कम दो दिन पहले भेजा जाएगा।

- (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 3 के खण्ड (vi) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

किसी बैठक में आयोग की सभी कार्यवाही निर्णय को सचिव द्वारा दर्ज किया जाएगा और अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद उक्त बैठक कार्यवाही (मिनट्स) को सभी सदस्यों को बैठक के 7 दिनों के भीतर प्रसारित किया जाएगा, चाहे वह बैठक में उपस्थित थे या नहीं, और अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। यदि, कोई सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहता है या अपने हस्ताक्षर नहीं करता है, तो इस तथ्य को कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना सचिव का कर्तव्य होगा कि आयोग की सभी बैठकों की कार्यवाही को स्थायी रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित किया जाए।

- (iv) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 3 के खण्ड (vii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

बैठक के दौरान लिए गए सभी निर्णयों को बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर सहित संबंधित फ़ाइल पर लिखा जाएगा और ऐसी बैठक में किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण आयोग के निर्णय को अमान्य नहीं किया जाएगा और आयोग का निर्णय ही मान्य होगा। उपस्थित सदस्य(यों) के अनुमोदन के बाद सचिव प्रत्येक निर्णय को अपने हस्ताक्षर सहित संबंधित फ़ाइल पर दर्ज करेगा।

- (v) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 3 के खण्ड (viii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

आयोग के निर्णय/सलाह/प्रस्ताव सभी मामलों में सचिव द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से या उनकी अनुपस्थिति में आयोग के उपस्थित वरिष्ठतम अधिकारी अवर सचिव/ सहायक रजिस्ट्रार/ अनुभाग अधिकारी से नीचे के पद से नीचे का न हो, द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किए जाएंगे।

- (vi) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 3 के खण्ड (ix) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

आयोग अपनी बैठक के दौरान सहायता के उद्देश्य से विशेषज्ञ अधिकारी या गैर-विशेषज्ञ अधिकारी और/या अध्यापनकर्ता प्राधिकारी/ नियोक्ता के विभागीय नामित व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है और उसे हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर, आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दरों के अनुसार उसकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाएगा।

- (vii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 3 के खण्ड (x) को विलोप कर दिया जाएगा तथा विद्यमान खण्ड (xi) की संशोधित संख्या (x) होगी।

- नियम 5 का 5 (i) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संशोधन) नियम, 2024 के नियम 5 में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

आयोग केवल उन ऑनलाइन मांग पत्रों पर विचार करेगा जो भर्ती निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजी जाती हैं। हालाँकि, आयोग अन्य विभाग/संस्था/बोर्ड/पीएसयू/निगम से प्राप्त मांग पत्र पर विचार कर सकता है जैसा कि सरकार द्वारा तय किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक उपयुक्त ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से संबंधित विभाग या अन्य एजेंसियां मांग पत्र प्रस्तुत करेंगी। वेब-आधारित प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी मांग पत्र तभी पूर्ण माना जाएगा जब निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा किए जाएँ—जैसे कि लागू भर्ती एवं पदोन्नति (आरएंडपी) नियमों की विधिवत प्रमाणित प्रति, निर्दिष्ट संख्या में रिक्तियों को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन, और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़। आयोग प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता और स्पष्टता की पुष्टि करेगा और स्वीकृति, अस्वीकृति या किसी भी प्रश्न के संबंध में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से एक निर्धारित समय सीमा के भीतर संवाद करेगा, जैसा कि सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया है।

- नियम 6 का 6 (i) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संशोधन) नियम, 2024 के नियम 6 के खण्ड (ii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

उन मामलों को छोड़कर जहां आयोग द्वारा एक अलग कट-ऑफ तिथि विशेष रूप से निर्धारित की गई है, विज्ञापन में इंगित ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को, सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए, पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि माना जाएगा, जिसमें न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना, अनुभव, योग्यता में सुधार, खेलों में विशिष्टता (एनसीसी सहित), और उम्मीदवार द्वारा दावा किया गया कोई अन्य गुण शामिल है। उक्त कट-ऑफ तिथि के बाद प्राप्त की गई ऐसी किसी भी योग्यता, अनुभव, विशिष्टता या अन्य विशेष गुण पर विचार नहीं किया जाएगा या उसे कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। बशर्ते कि ओबीसी-एनसीएल, बीपीएल/ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड श्रेणी आदि से संबंधित उम्मीदवारों के श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि और दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि दोनों के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी; जिसका अर्थ है कि ऐसे उम्मीदवारों के पास पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान एक वैध श्रेणी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

- (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 6 के खण्ड (iv) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

पद के लिए आवेदन करने से पहले ओआरए में उम्मीदवार द्वारा दावा की गई श्रेणी को अंतिम माना जाएगा। यदि उम्मीदवार ने अनजाने में ओआरए में अपनी श्रेणी गलत भर दी है या एचपीआरसीए के ओटीआर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि से पहले उसकी श्रेणी में बदलाव होता है, तो ऐसे उम्मीदवार को आयोग से लिखित रूप में अनुरोध करके अपने आवेदन को संशोधित करवाना होगा। ऐसी स्थिति में, उम्मीदवार को उसके द्वारा दावा की गई श्रेणी के लिए लागू आवेदन शुल्क की अंतर राशि जमा करनी होगी। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां उम्मीदवार को किसी भी बाद के चरण में पता चलता है कि उसने ओआरए में अपनी श्रेणी गलत भरी है बशर्ते उसने आयु, अनुभव, योग्यता आदि के संदर्भ में किसी भी छूट वाले मानकों का लाभ नहीं उठाया हो, तो वह स्क्रीनिंग टेस्ट/सीबीटी के आयोजन के 15 दिनों के भीतर आयोग को लिखित रूप में इसकी सूचना देगा/देगी, अन्यथा आयोग द्वारा किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में, यदि उसने आरक्षित श्रेणी के मानदंडों के अनुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है तो उसे अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा/करेगी। श्रेणी बदलने के उसके अनुरोध पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

- (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 6 के खण्ड (v) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

निर्धारित प्रारूप पर पैतृक आधार पर जारी किए गए बोनाफाइड हिमाचली, एससी, एसटी, डब्ल्यूएफएफ और कानूनी उत्तराधिकारी जैसे वैधानिक प्रमाण पत्र जो स्थायी प्रकृति के हैं, आयोग को स्वीकार्य होंगे। हालांकि, निर्धारित प्रारूप पर पैतृक आधार पर ओबीसी के प्रमाण पत्र और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप पर बीपीएल/ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र ऑनलाइन भर्ती आवेदन जमा करने की निर्धारित कट-ऑफ तिथि के साथ-साथ दस्तावेज सत्यापन की तिथि पर भी मान्य होंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र, जिसमें स्वयं यह शपथ पत्र हो कि उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या बीपीएल श्रेणी से बाहर नहीं है, अभ्यर्थी को आयोग द्वारा मांगे जाने पर और दस्तावेज सत्यापन की तिथि को आयोग में प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि अपेक्षित प्रमाण पत्र में कोई कमी है या वह निर्धारित प्रारूप में नहीं है, तो आयोग अभ्यर्थियों को उनके शपथ पत्र के अधीन, स्पष्ट/वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय दे सकता है।

- (iv) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 6 के खण्ड (vi) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

चूँकि दस्तावेज सत्यापन के दिन सभी अंतिम रूप से भर्ती किए गए उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण/जाँच की जाएगी, इसलिए

उम्मीदवारों को ऑनलाइन भर्ती आवेदन में किए गए आयु-सीमा, श्रेणी, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के अपने दावों के समर्थन में प्रमाण के रूप में मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ऑनलाइन बताए गए दस्तावेज सत्यापन के दिन, यदि कोई भी उम्मीदवार अपनी पात्रता के संबंध में अन्य मूल प्रमाणपत्रों के अलावा, ऑनलाइन भर्ती आवेदन में जिस श्रेणी का दावा किया है, उसका मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे दस्तावेज सत्यापन समिति के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी उम्मीदवारी स्वतः ही अस्वीकार हो जाएगी। जिस संस्थान से अभ्यर्थी ने आवश्यक योग्यताएँ प्राप्त की हैं, उसकी मान्यता के संबंध में किसी भी संदेह की स्थिति में, यह सिद्ध करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा कि उक्त संस्थान मान्यता प्राप्त है।

- (v) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 6 के खण्ड (vii) (च) (i),(ठ) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा/विलोपित किया जाएगा:—

परीक्षा/चयन के किसी भी चरण में एक उम्मीदवार जिसमें अंतिम चयन और उसकी सिफारिश भेजना शामिल होगा या परीक्षा के दौरान या आयोजित या आयोजित की जा रही किसी भी चयन प्रक्रिया के दौरान खुद को प्रासंगिक कानूनों के तहत आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा (सरकार के तहत पहले से ही सेवा में उम्मीदवार के मामले में, उचित नियमों और प्रासंगिक कानूनों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई और आपराधिक अभियोजन के लिए) 15 साल तक की अवधि के लिए किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है, या उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निर्धारित तिथि से आयोग के विवेकानुसार परीक्षा की तिथि रद्द की जा सकती है, यदि वह निम्नलिखित में संलिप्त पाया जाता है:-

च) (i) अनुचित साधनों से प्रश्नपत्र की प्रति प्राप्त करने का प्रयास करते हुए पाया गया/प्राप्त की;

(ठ) विलोपित किया गया ।

- (vi) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 6 के खण्ड (vii) (ट) के उपरान्त निम्नलिखित नए खण्ड (ट), (ड), (ढ), (ण) तथा (थ), रखे जाएंगे :-

ठ) सीबीटी परीक्षा के संचालन के लिए परीक्षा केंद्र में स्थापित कंप्यूटर आधारित उपकरण के हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास।

ड) सीबीटी परीक्षा के संचालन से जुड़े केंद्र/रिमोट सर्वर के कंप्यूटर सिस्टम या सर्वर को हैक करने का प्रयास।

ढ) सीबीटी परीक्षा के दौरान दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रिकॉर्ड किए गए उत्तर के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास।

- ण) परीक्षा केंद्र के अंदर/बाहर संपर्क करने के लिए किसी ब्लूटूथ/वाई-फाई या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/ गैजेट का उपयोग करते हुए पाया गया।
- त) प्रश्नों के उत्तर बदलने/जोड़ने के लिए ओएमआर शीट पर छेड़छाड़ या व्हाइटनर/सुधार द्रव का उपयोग।
- थ) पूर्वोक्त खंडों में निर्दिष्ट किसी भी कार्य का षडयंत्र करना, करने का प्रयास करना, या उसे बढ़ावा देना, चाहे वह आयोग के कामकाज या अखंडता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता हो; शब्द "का दोषी होना" के स्थान पर "में संलिप्त पाया जाना" रखा गया है।

नियम 7 का 7 (i)
संशोधन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 7 के खण्ड (i) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

पद(पदों)/सेवा(सेवाओं) पर सीधी भर्ती करने के लिए मांगपत्र प्राप्त होने के बाद, अध्यक्ष द्वारा तय की जाने वाली तिथि पर कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों (एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में) में एक सांकेतिक विज्ञापन (संक्षेप में) प्रकाशित किया जाएगा और सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार एचपीआरसीए के “वन टाइम रजिस्ट्रेशन” (ओटीआर) पोर्टल के माध्यम से इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) आमंत्रित करने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन अपलोड किया जाएगा, या जहां उस समय कोई सेवा नियम लागू नहीं हैं, वहां आयोग द्वारा सहमत सिद्धांतों पर। उम्मीदवार एचपीआरसीए के ओटीआर पोर्टल पर अपनी पात्रता के समर्थन में सभी प्रासंगिक दस्तावेज/प्रशंसापत्र अपलोड करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में विस्तृत निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। ऑनलाइन भर्ती आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त मांगपत्रों को समाचार पत्रों/राजपत्र में अधिसूचित करने के बाद शुरू में विज्ञापित पदों की संख्या में शामिल किया जाएगा।

- (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 7 के खण्ड (iii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

आयोग को विज्ञापन की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार समान आवश्यक योग्यता, पद का नामकरण रखने वाले किसी भी पद (पदों) को एक साथ जोड़ने का अधिकार होगा।

परन्तु यह कि सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों आदि में नियमित आधार पर भरे जाने वाले और प्रशिक्षुओं के लिए, या केवल प्रशिक्षुओं के लिए, पदों को, नियुक्ति न होने के कारण योग्यता से समझौता करने से बचने के लिए एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

नियम 8 का 8. (i) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 8 के खण्ड (ग) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

एक बार जमा किए गए ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में, ओआरए जमा करने की अंतिम तिथि के बाद निर्धारित अवधि के भीतर आयोग द्वारा श्रेणी परिवर्तन सहित संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे संशोधन विज्ञापन में निर्दिष्ट सुधार शुल्क के भुगतान के अधीन होंगे। श्रेणी परिवर्तन की स्थिति में, अंतर राशि ऐसे ओआरए की स्वीकृति के लिए आवेदन शुल्क, यदि कोई हो, भी जमा करना आवश्यक होगा। सुधार विंडो के खुलने और बंद होने की तिथियां विज्ञापन में दर्शाई जाएंगी।

नियम 9 का 9. (i) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 9 के खण्ड (ii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

परीक्षा शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, सुधार शुल्क या कोई समान शुल्क/प्रभार आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। हालाँकि, शुल्क निर्धारित करते समय, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 9 का खण्ड (iii) विलोपित किया जाएगा तथा विद्यमान खण्ड (v) की संशोधित संख्या (iii) होगी ।

(iii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 9 का खण्ड (iv) विलोपित किया जाएगा तथा विद्यमान खण्ड (vi) की संशोधित संख्या (iv) होगी ।

(iv) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 9 के खण्ड (vi) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा तथा विद्यमान खण्ड (vi) की संशोधित संख्या (v) होगी :—

हिमाचल प्रदेश राज्य के अलावा अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार माना जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षण और शुल्क रियायत का लाभ स्वीकार्य नहीं होगा।

नियम 10 का 10. (i) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 10 के खण्ड (i) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को एचपीआरसीए के ओटीआर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए न्यूनतम 21 (इक्कीस) दिन दिए जाएंगे। प्रत्येक विज्ञापन में ओटीआर पोर्टल के

माध्यम से ऑनलाइन भर्ती आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दर्शाई जाएगी। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी एचपीआरसीए के ओटीआर पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की रात्रि 11.59 बजे तक ऑनलाइन भर्ती आवेदन भर सकते हैं, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हालाँकि, अपरिहार्य परिस्थितियों में, आयोग के अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से, कारण दर्ज करके, तिथि बढ़ाई जा सकती है।

- (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 10 के खण्ड (v) में विद्यमान उपबन्धों/शब्दों (आवेदन प्राप्त से किया जाएगा तक) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम/अंतिम तिथि के अगले दिन, संबंधित शाखा द्वारा एसओपी/जॉब चार्ट के अनुसार नोडल अधिकारी/कंप्यूटर सेल की मदद से नीचे दिए गए शीर्षकों के तहत संक्षेप में तैयार किया जाएगा। आयोग और निम्नलिखित विवरण के साथ जानकारी के लिए ई-ऑफिस या अन्यथा सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा :—

- (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 10 के खण्ड (vi) के उप-खण्ड (ख) में विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

(ख) अंतिम रूप से प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के ई-प्रवेश पत्र, उनकी श्रेणी और अन्य प्रासंगिक विवरण दर्शाते हुए, उनके यूजर आईडी पर व्यक्तिगत रूप से बनाए और अपलोड किए जाएंगे, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट/ईमेल भी भेजा जाएगा। उम्मीदवार की जानकारी ई-प्रवेश पत्र पर मुद्रित क्यूआर कोड के माध्यम से अतिरिक्त रूप से उपलब्ध होगी।

नियम 11 का 11. (i)
संशोधन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 11 के खण्ड (iv) विलोपित किया जाएगा तथा विद्यमान खण्ड (v), (vi) तथा (vii) की संशोधित संख्या (iv), (v) तथा (vi) होगी ।

- (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 11 के खण्ड (vi) (अब खण्ड (v) में विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

आवेदन प्राप्ति के लिए अधिसूचित कट-ऑफ तिथि की समाप्ति के बाद, उम्मीदवारों की दो चेक लिस्ट यानी एक उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए अपेक्षित शुल्क के आधार पर अंतिम रूप से प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की और दूसरी भुगतान न करने या अपेक्षित शुल्क के कम भुगतान के आधार पर अस्वीकृत उम्मीदवारों की, आयोग द्वारा तय किए गए एसओपी/जॉब चार्ट के अनुसार संबंधित भर्ती शाखा के

अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भौतिक और डिजिटल रूप में तैयार और मुद्रित की जाएगी। शाखा द्वारा संपूर्ण रिकॉर्ड की ठीक से जांच करने के बाद ही, उम्मीदवारों को ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्रों में किए गए उनके दावों के आधार पर, प्रारंभिक परीक्षा/सीबीटी /लिखित स्क्रीनिंग टेस्ट या कौशल परीक्षा/दस्तावेज़ सत्यापन, जैसी भी स्थिति हो, में उपस्थित होने के लिए अंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा।

नियम 14 का 12. (i)
संशोधन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 14 के खण्ड (i) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

यदि यह निर्णय लिया जाता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा या स्क्रीनिंग परीक्षा से पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है, तो परीक्षा केंद्रों का चयन अभ्यर्थियों की संख्या, स्थान, बैठने की क्षमता, कंप्यूटर संबंधी बुनियादी ढांचा, इंटरनेट, यूपीएस, पहुंच, उपयुक्तता, फर्नीचर, कर्मचारी, बिजली, पानी और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 14 के खण्ड (ii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

जहाँ पात्र अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों से कम है, वहाँ आयोग चयन के लिए एक उपयुक्त मानदंड निर्धारित और अधिसूचित करेगा।

(iii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 14 के खण्ड (iii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

जहां आयोग के पास बुनियादी ढांचा है या वह व्यवस्था कर सकता है, वहां वह ऑनलाइन कंप्यूटर प्रक्रिया के माध्यम से लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने का निर्णय ले सकता है। बशर्ते कि ओएमआर परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, व्यक्तिपरक लिखित परीक्षा और टाइपिंग परीक्षा, जैसा भी मामला हो, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों के साथ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के प्रवेश और निकास द्वार भी सीसीटीवी निगरानी में होंगे। परीक्षा के संचालन की लाइव स्ट्रीमिंग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, सचिव, उप सचिव, संयुक्त नियंत्रक, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी और/या आयोग द्वारा निर्धारित किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाएगी। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखी जाएगी।

(iv) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 14 के खण्ड (v) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

एक बार परीक्षा की तारीख और स्थान तय हो जाने के बाद, अंतिम रूप से भर्ती किए गए उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र बनाए

जाएंगे और उन्हें डाउनलोड करने के लिए भर्ती शाखा या सेवा प्रदाता जैसी भी मामला हो, द्वारा उनकी यूजर आईडी पर व्यक्तिगत रूप से अपलोड किए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवारों को एसएमएस अलर्ट/ईमेल भी भेजा जाएगा जो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता जमा करेंगे। सार्वजनिक सूचना दो प्रमुख समाचार पत्रों) एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में के साथ-साथ आयोग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

- (v) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 14 के खण्ड (vii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

आयोग के परीक्षा नियंत्रक/ अतिरिक्त नियंत्रक, प्रश्नपत्र तैयार करवाने और उसका मूल्यांकन स्वयं या आयोग द्वारा निर्धारित किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से करवाने के लिए उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों का एक पैनल बनाए रखेंगे।

- (vi) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 14 के खण्ड (viii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

नियंत्रक/ अतिरिक्त नियंत्रक, निर्धारित किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से एन्क्रिप्टेड/मुद्रित प्रश्नपत्र तैयार करवाने में सहायता एवं समन्वय करेंगे और गोपनीयता, सटीकता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

- (vii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 14 के विद्यमान खण्ड (ix) के उपरान्त नया उप-खण्ड (ix-a) प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

एचपीआरसीए के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जिनमें परीक्षा के संचालन के लिए सौंपी गई किसी आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारी, या कोई अन्य फील्ड एजेंसी, पेपर सेटर, मूल्यांकनकर्ता, या भर्ती प्रक्रिया से जुड़े तीसरे पक्ष शामिल हैं - विज्ञापन के चरण से लेकर उसके समापन तक - को आयोग द्वारा उन्हें उस विशेष चयन प्रक्रिया से अलग करने में सक्षम बनाने के लिए 'नो रिलेशन सर्टिफिकेट' जमा करना होगा, यदि आवश्यक हो।

- (viii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 14 के खण्ड (xi) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

वैध फोटो पहचान पत्र वाले उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित बारकोड/क्यूआर कोड स्कैनिंग और/या बायोमेट्रिक्स/ आइरिस स्कैनिंग आदि के माध्यम से अपने ई-प्रवेश पत्रों के सत्यापन के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

- (ix) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 14 के खण्ड (xiv) में विद्यमान

उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

जहाँ किसी पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या सीमित है, वहाँ आयोग द्वारा सीबीटी के स्थान पर ओएमआर आधारित परीक्षा को प्राथमिकता दी जा सकती है।

- (x) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 14 के खण्ड (xv) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

ओएमआर आधारित परीक्षा, टंकण कौशल परीक्षा, आशुलिपि परीक्षा और वर्णनात्मक लिखित परीक्षा के मामले में, केंद्र अधीक्षक परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, उत्तर पुस्तिकाओं और संबंधित सामग्री को छेड़छाड़-रोधी लिफाफों/प्लास्टिक स्लीव में सील करेंगे।

- (xi) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 14 के खण्ड (i) से (xv) के उपरान्त नये नियम 14-ए (बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए लिखित परीक्षाओं का संचालन) तथा 14-बी (स्ट्रांग रूम) प्रतिस्थापित किये जाएंगे :-

14-ए (बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए लिखित परीक्षाओं का संचालन)

i) हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए लिखित परीक्षाओं के संचालन के संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अधीन, अंधेपन, चलने-फिरने में दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित - बीए), सेरेब्रल पाल्सी, या पढ़ने या लिखने या सीबीटी/ओएमआर-आधारित परीक्षाओं का प्रयास करने में शारीरिक सीमाओं से जुड़ी किसी अन्य स्थायी विकलांगता की श्रेणियों में आने वाले बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी, यदि उम्मीदवार ऐसी सहायता चाहता है। उम्मीदवार को परीक्षा की तारीख से कम से कम पंद्रह (15) दिन पहले सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ आयोग को लिखित रूप में आवेदन करना होगा।

ii) दिव्यांगजनों/बेंचमार्क दिव्यांगजनों को यह छूट वैध दिव्यांगता/बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी, साथ ही यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि व्यक्ति पढ़ने या लिखने या सीबीटी या ओएमआर-आधारित परीक्षा देने में शारीरिक रूप से असमर्थ है, और परीक्षा देने के लिए एक लेखक/रीडर/लैब सहायक की सहायता आवश्यक है। ऐसा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन, या किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए।

iii) प्रतिपूरक समय परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट होगा और इसे आनुपातिक आधार पर परीक्षा की वास्तविक अवधि के आधार पर बढ़ाया या घटाया जा सकेगा।

iv) एचपीआरसीए उपर्युक्त शारीरिक सीमाओं वाले दिव्यांग/मानक दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक विशेष परीक्षा केंद्र स्थापित कर सकता है, ताकि परीक्षा के दौरान उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके।

v) दिव्यांग/मानक दिव्यांग उम्मीदवार के पास यह विवेकाधिकार होगा कि वह या तो अपने लिए स्वयं लेखक/पाठक/प्रयोगशाला सहायक की व्यवस्था करे या निर्धारित परीक्षा से पर्याप्त समय पहले एचपीआरसीए से इसकी व्यवस्था करने का अनुरोध करे। एचपीआरसीए, परीक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार, जिला, संभागीय या राज्य स्तर पर उपयुक्त लेखक/पाठक/ प्रयोगशाला सहायकों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध कर सकता है। ऐसे मामलों में जहाँ लेखक/पाठक/प्रयोगशाला सहायक की व्यवस्था एचपीआरसीए द्वारा की जाती है, उम्मीदवार को परीक्षा से कम से कम दो दिन पहले नियुक्त व्यक्ति से मिलने की अनुमति दी जाएगी, ताकि उम्मीदवार उस व्यक्ति की उपयुक्तता की पुष्टि कर सके। vi) यदि किसी अभ्यर्थी को अपना स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक लाने की अनुमति है, तो ऐसे व्यक्ति की योग्यता उस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर कम होगी जिसके लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से कम से कम पंद्रह (15) दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र में तीन (03) प्रस्तावित स्क्राइब/रीडर/लैब सहायकों की सूची, उनके पूर्ण विवरण और एक वचनबद्धता के साथ प्रस्तुत करनी होगी। आयोग, उचित समझे जाने पर, तीन में से एक को अनुमति देगा।

vii) ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में, मानक विकलांगता के प्रकटीकरण के लिए एक अलग कॉलम प्रदान किया जाएगा, जिसमें विकलांगता के प्रकार और प्रतिशत के साथ-साथ परीक्षा देने के लिए शारीरिक सीमाओं की प्रकृति, यदि कोई हो, का उल्लेख होगा।

14-बी - स्ट्रांग रूम

i) ओएमआर आधारित परीक्षाओं, टाइपिंग कौशल परीक्षाओं, शॉर्टहैंड परीक्षाओं और वर्णनात्मक लिखित परीक्षाओं से संबंधित परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के साथ-साथ परिणामों से संबंधित अभिलेखों और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को संरक्षित करने के लिए, परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु, एक स्ट्रांग रूम को डबल-लॉक प्रणाली और ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों के साथ चौबीसों घंटे (24×7) सीसीटीवी निगरानी के तहत बनाए रखा जाएगा।

ii) परीक्षा नियंत्रक स्ट्रांग रूम का संरक्षक होगा और दूसरी चाबी आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास रहेगी।

iii) स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर, इसके प्रवेश बिंदु सहित, स्थापित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की 24×7 लाइव स्ट्रीमिंग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, सचिव, उप सचिव, संयुक्त नियंत्रक, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी और/या आयोग द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के लिए सुलभ कराई जाएगी। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

iv) आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के

अनुसार स्ट्रांग रूम को सख्ती से खोला जाएगा। सभी प्रविष्टियों, निकासों और एक्सेस की गई सामग्रियों का उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा, जो संबंधित व्यक्तियों की पहचान और हस्ताक्षरों द्वारा विधिवत समर्थित होगा। आयोग आवश्यकतानुसार स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी कर सकता है।

नियम 15 का 13. (i)
संशोधन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 15 के खण्ड (i) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

आयोग ओएमआर शीट्स, लिखित विषयात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं, टाइपिंग परीक्षण, शॉर्टहैंड परीक्षण, और सीबीटी के उत्तरों के मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया/प्रणाली तैयार करेगा और उसे निर्धारित करेगा, जो कि सरकार द्वारा तय की गई सॉफ्टवेयर या अन्य एजेंसी के माध्यम से होगा। आयोग हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग के साथ परामर्श में एक अलग एसओपी तय करेगा।

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 15 के खण्ड (ii) के उपरान्त नये खण्ड (iii), (iv) तथा (v) प्रतिस्थापित किये जाएंगे :-

(iii) विशेषज्ञ समिति द्वारा आपत्तियों की जांच के बाद, प्रस्तावित संशोधनों को एचपीआरसीए की आधिकारिक समर्पित विंडो पर प्रकाशित किया जाएगा ताकि उम्मीदवारों को प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में पता चल सके। यदि ऐसे प्रकाशन के सात दिनों के भीतर कोई और आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए कुंजी को अंतिम माना जाएगा।

(iv) कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ओएमआर-आधारित परीक्षा, व्यक्तिपरक लिखित परीक्षा, शॉर्टहैंड परीक्षा, या टाइपिंग परीक्षा, जैसा भी मामला हो, में उम्मीदवार के उत्तरों का मूल्यांकन सीसीटीवी निगरानी में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों के साथ किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, सचिव, उप सचिव, संयुक्त नियंत्रक, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी और/या आयोग द्वारा तय किए गए किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाएगी। सीटीवी रिकॉर्डिंग को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(v) शॉर्टहैंड और टाइपिंग टेस्ट सहित सभी व्यक्तिपरक प्रकार की उत्तर पुस्तिकाओं में, एचपीआरसीए की परीक्षा शाखा द्वारा गोपनीयता बनाए रखने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं पर काल्पनिक रोल नंबर चिपकाए जाएंगे और उनका आगे का मूल्यांकन आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सख्ती से किया जाएगा।

नियम 16 का 14. (i)
संशोधन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 16 के खण्ड (i) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

लिखित स्क्रीनिंग टेस्ट/ओएमआर टेस्ट/सीबीटी के मूल्यांकन के

आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी और विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के मामले में, श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। पात्र और विचाराधीन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 45% अंक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित/विशेष रूप से सक्षम उम्मीदवारों के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। निर्धारित अंक से कम अंक लाने वालों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और शेष चयन प्रक्रिया में उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि यदि निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों की संख्या से कम है, तो आयोग लिखित रूप में कारण दर्ज करके अर्हक प्रतिशत में अधिकतम 5%, अर्थात् सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 40% तक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के अभ्यर्थियों के लिए 35% तक की छूट दे सकता है।

- (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 16 के खण्ड (iii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

जहाँ टाइप और शॉर्टहैंड परीक्षा एक अनिवार्य योग्यता है, वहाँ अभ्यर्थी(यों) को निर्धारित गति के लिए ये परीक्षाएँ देनी होंगी।

- (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 16 के खण्ड (v) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

आयोग के दायरे में आने वाले विभिन्न ग्रुप-सी पदों पर चयन सरकार के नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जो वर्तमान में निर्धारित करते हैं कि यह केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के मल्टीपल क्वेस्टियन वैकल्पिक प्रश्न) एमसीक्यू (या अन्यथा प्रदान किए गए, आधारित टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

परन्तु यह कि आयोग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या के आधार पर कौशल परीक्षा और/या लिखित परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए पात्र उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या, जो ऐसी परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र होंगे, निम्नानुसार है:

क) यदि विज्ञापित पदों की संख्या 30 से कम है, तो विज्ञापित पदों की संख्या के पाँच गुना के बराबर उम्मीदवार।

ख) यदि संख्या 30 और 40 के बीच है, तो 150 उम्मीदवार।

ग) यदि संख्या 40 से अधिक है, तो विज्ञापित पदों की संख्या के चार गुना के बराबर उम्मीदवार।

इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि आशुलिपि कौशल की आवश्यकता वाले पदों के लिए, कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित पदों की संख्या के बीस गुना तक हो

सकती है।

परन्तु आगे यह कि अधिकतम पात्र उम्मीदवारों को, यदि उपलब्ध हों, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए इस प्रकार बुलाया जाएगा कि आयोग नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की अनुशंसा कर सके और अपेक्षित प्रतीक्षा पैनल बनाए रख सके।

परन्तु आगे यह कि यदि अंतिम चयन के चरण में पात्र उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित पदों की संख्या से कम पाई जाती है, तो अतिरिक्त उपलब्ध उम्मीदवारों को, जो मेरिट में अगले स्थान पर हैं और जिन्होंने न्यूनतम निर्धारित अंकों के मानदंड को प्राप्त कर लिया है, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जा सकता है, ताकि विज्ञापित पदों की अधिकतम संख्या को भरा जा सके।

- (iv) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 16 के खण्ड (vi) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

अंतिम योग्यता क्रम सीबीटी/ओएमआर परीक्षा/ लिखित विषयपरक परीक्षा, जैसा भी मामला हो, में प्राप्त उच्चतम अंकों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यदि अंक समान हैं, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को कम आयु वाले अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। यदि आयु भी समान है, तो आवश्यक योग्यता में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा।

- (v) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 14 के खण्ड (vii) के उपरान्त निम्नलिखित नया खण्ड (vii-a) प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

हिमाचल प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, यदि पात्र उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर है, तो आयोग अधिकतम रिक्तियों को भरने के लिए अपनी श्रेणी के विरुद्ध किसी भी मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार पर विचार करेगा।

- (vi) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 16 के खण्ड (ix) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

अंतिम परिणाम तैयार करते समय, आयोग द्वारा घोषित श्रेणी-वार प्रतीक्षा सूची) पैनल (निम्नानुसार तैयार की जाएगी:
प्रतीक्षा पैनल.

क) जहाँ विज्ञापित पदों की संख्या 25 तक है, तो @25%, बशर्ते न्यूनतम दो अभ्यर्थी हों।

ख) जहाँ विज्ञापित पदों की संख्या 25 से 50 के बीच है, तो @15%, बशर्ते न्यूनतम सात अभ्यर्थी हों।

ग) जहाँ विज्ञापित पदों की संख्या 50 से अधिक है, वहाँ न्यूनतम आठ

उम्मीदवारों के अधीन 10% की दर से।

नोट: किसी भी अंश को अगली संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा।

प्रतीक्षा सूची/पैनल में रखे गए उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय इसके कि जब कोई चयनित/अनुशंसित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करने के समय तक/तक कार्यभार ग्रहण न करे। प्रतीक्षा सूची आयोग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी।

- (vii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 16 के खण्ड (x) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

अंतिम परिणाम घोषित करते समय, चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंक श्रेणीवार भी दर्शाए जाएंगे। लिखित स्क्रीनिंग/वर्णनात्मक परीक्षा/ कौशल परीक्षा/पीईटी में प्राप्त अंक अलग से दर्शाए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर और नाम योग्यता क्रम में प्रकाशित किए जाएंगे, जो संबंधित नियोक्ता विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करेंगे।

- (viii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 16 के खण्ड (xii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

चयन की अनुशंसा आयोग के सचिव द्वारा अध्याचन प्राधिकारी को भेजी जाएगी, जिसकी सूचना आयोग को दी जाएगी और परिणाम एचपीआरसीए के सूचना पट्ट और आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा, साथ ही अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा और उसे उनकी यूजर आईडी पर अपलोड किया जाएगा।

नियम 17 का 15. (i) संशोधन

- हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 17 के खण्ड (ii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

सभी न्यायिक प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए, आयोग के सचिव एचपीआरसीए हमीरपुर के नाम से मामला या उत्तर दायर करेगा।

- (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 17 के खण्ड (v) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

सचिव, अध्यक्ष की अनुमति से, ऐसे कानूनी मामले में जिसमें आयोग एक पक्षकार है, विश्लेषणात्मक डेटा या रिपोर्ट आयोग के स्थायी परामर्शदाता के पैनल या महाधिवक्ता को तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दे सकते हैं।

- (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 17 के खण्ड (vii) के उपरान्त निम्नलिखित नया खण्ड (viii) प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(viii) आयोग, न्यायालयों में अपना पक्ष रखने या प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने स्तर पर अधिवक्ताओं को नियुक्त करेगा, बशर्ते कि शुल्क संरचना का अनुमोदन कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

- नियम 18 का संशोधन 16. (i) द्वारा किया जाए।
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 18 में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-
- सभी प्रशासनिक मामलों पर आयोग के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से सचिव द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- नियम 19 का संशोधन 17. (i) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 19 के खण्ड (i) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-
सभी वित्तीय शक्तियां आयोग के सचिव के पास निहित होंगी, जो वित्तीय मामलों में कार्यालयाध्यक्ष की पूर्ण शक्ति का प्रयोग करेंगे।
- (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 19 के खण्ड (ii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-
- सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक नियमों और निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, सचिव, संयुक्त नियंत्रक, एचपीएफ एंड एस की सहायता से चालू वर्ष के अनुमानों या संशोधित अनुमानों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए खर्चों के आधार पर बजट अनुमान तैयार करेंगे।
- (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 19 के खण्ड (iv) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-
- इस प्रकार तैयार किए गए बजट अनुमान सरकार को भेजे जाने से कम से कम 10 दिन पहले अध्यक्ष के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएँगे। अध्यक्ष, यदि आवश्यक या उचित समझें, तो अनुमानों में परिवर्तन कर सकते हैं।
- (iv) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 19 के खण्ड (v) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-
- सचिव, आयोग के व्यय के संबंध में सूचना और निर्देश हेतु अध्यक्ष को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- नियम 20 का संशोधन 18. (i) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 20 के खण्ड (i) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-
- आयोग के सचिव हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों में उल्लिखित सभी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की व्यवस्था करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।
- (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और

संचालन) नियम, 2024 के नियम 20 के खण्ड (ii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

निविदा/ई-निविदा/बोलियां संबंधित नियमों और शर्तों के साथ निविदा दस्तावेज तैयार करने के बाद सचिव द्वारा आमंत्रित की जाएगी।

- (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 20 के खण्ड (iii) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

उचित स्तर की निविदा खोलने वाली समिति/तकनीकी समिति का निर्णय सचिव द्वारा आयोग के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।

- (iv) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर (प्रक्रिया और संचालन) नियम, 2024 के नियम 20 के खण्ड (iv) में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—
सभी अनुबंध समझौतों पर आयोग के सचिव द्वारा अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना,
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP.B)A(3)-2/2024 dated 20-09-2025 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

PERSONNEL DEPARTMENT

Appointment-II

NOTIFICATION

Shimla-171002, 20th September, 2025

No. Per(AP.B)A(3)-2/2024.—In exercise of the powers conferred by Article 162 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased further to amend the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules, 2024, issued vide notification dated 01-03-2024 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 5th March, 2024, namely:—

Short title and commencement	1. (i)	These rules may be called the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog (Business and Procedure) (First Amendment) Rules 2025.
	(ii)	These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazettee), Himachal Pradesh.
Amendment of short	2. (i)	In the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog,

title.	Hamirpur (Business and Procedure) Rules, 2024 hereinafter referred to as the said rules,— (i) for the existing short title i.e " Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur", the following short title shall be substituted, namely: " Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog " ; and
Amendment of rule 2	<p>3. (i) For the existing provisions of clause (ii) rule 2 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:- “Secretary” means Secretary of the Aayog as appointed by the Government of Himachal Pradesh from time to time. ;”</p> <p>(ii) The existing provisions of clause (v) of rule 2 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules, 2024, shall be deleted and the revised numbering of the exiting clauses No. (vi) to (xxiv) shall be as clauses No. (v) to (xxiii).</p> <p>(iii) For the existing provisions of clause (viii) of rule 2 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:- “Controller of Examination” means the Secretary of the HPRCA and Additional Controller of Examination means Assistant Registrar/ Section Officer. ;”</p> <p>(iv) For the existing provisions of clause (ix) of rule 2 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:- “Drawing and Disbursing Officer” means Head of the Department, Head of Office, and Joint Controller (HPF&AS) so appointed to draw bills and make payments on behalf of the HP Rajya Chayan Aayog, Hamirpur.</p>

- (v) After the existing provisions of clause (xiv) of rule 2 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the new following clause (xiv-a) shall be inserted, namely:-

“Head of Office” means the Secretary of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog (HPRCA).

- (vi) For the existing provisions of clause (xviii) of rule 2 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“Officer” means Secretary, Deputy Secretary, Joint Controller, Under Secretary, District Attorney/ Deputy District Attorney/ Law Officer, Dy. Director (IT), Assistant Registrar, Section Officer, Supdt. Grade (I), Programmer etc. of the Aayog.

- (vii) For the existing provisions of clause (xxii) of rule 2 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“Relation” for obtaining “No Relation Certificate” means close relatives in blood relations and marital relations and includes *Parents (including parents of the spouse); Spouse; Children (including adopted or step-children) and their spouses; Siblings (including adopted or step siblings), their spouses, and children and their spouse; Brother-in-law and Sister-in-law, their spouses, and children and their spouse; First Uncle and Aunt (including of Spouse) their Spouse, and Children and their spouses, if any.*

**Amendment
rule 3**

- of 4. (i) After the first proviso of the existing provisions of clause (ii) of rule 3 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the new following second proviso shall be inserted, namely:-
Provided further that if the decision taken for reconsideration is approved in the next meeting, the same shall be accepted.

- (ii) For the existing provisions of clause (v) of rule 3 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“The agenda for the meetings will be drawn by the Secretary or in his /her absence by an officer not below the rank of Assistant Registrar/ Section Officer and shall be sent to the Chairman and Member(s) at least two days in advance with prior approval of the Chairman for studying by them.”

- (iii) For the existing provisions of clause (vi) of rule 3 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“All the proceedings / decision of the Aayog in a meeting will be recorded in the minutes by the Secretary and the said minutes after approval of the Chairman shall be circulated to all the Members, whether he/she was present in the meeting or not, within 7 days of the meeting and will be signed by the Chairman and the Members. If, a Member abstains from voting or does not put on his / her signature, the fact shall be entered in the minutes. It shall be the duty of the Secretary to ensure that all the minutes of the meetings of the Aayog are preserved as a permanent record.”

- (iv) For the existing provisions of clause (vii) of rule 3 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“All decisions taken during the meeting shall be reduced to writing on the relevant file under the signatures of the Members present in the meeting and shall not be invalidated due to the absence of any Member at such meeting and the decisions shall be deemed to be that of the Aayog. After approval of the Member(s) present, the Secretary shall record each decision on the relevant file under his / her signatures.”

- (v) For the existing provisions of clause (viii) of rule 3 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“The decisions/advice/proposals of the Aayog shall in all cases be communicated to all concerned through a letter signed by the Secretary or in his / her absence by the senior most officer present not below the rank of Under Secretary/Assistant Registrar /Section Officer of the Aayog.”

- (vi) For the existing provisions of clause (ix) of rule 3 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“The Aayog may invite expert officer(s) or non-expert officer(s) and/or a departmental nominee of the requisitioning authority/ employer for the purpose of assisting it in the course of its meeting, and he / she shall be paid for his / her services in accordance with the rate(s) approved by the Aayog from time to time except employees of the Himachal Pradesh Government.”

- (vii) The existing provisions of clause (x) of rule 3 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules, 2024, shall be deleted and the revised numbering of the exiting clause No. (xi) shall be as clause No. (x).

**Amendment
rule 5**

- of 5. (i) For the existing provisions of rule 5 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“The Aayog shall entertain only those online requisitions which are sent by the Directorate of Recruitment, Himachal Pradesh, strictly within the time frame prescribed by the Government. However the Aayog may entertain requisitions from other department/institution/Board/PSU/ Corporation as may be decided by the Government. For this purpose, the Aayog shall provide an appropriate online interface on its official website, through which the concerned Departments or other agencies shall submit requisitions. The web-based system shall ensure that a requisition is deemed complete only upon submission of all requisite documents, as per the prescribed checklist—such as a duly certified copy of the applicable Recruitment and Promotion (R&P) Rules, approval of the competent authority for filling the specified

number of vacancies, and other relevant documents. The Aayog shall verify the submitted documents for authenticity and clarity, and communicate its acceptance, rejection or any queries related to the requisition through the online system within a stipulated timeframe, as authenticated by the Secretary.”

**Amendment
rule 6**

of

6. (i)

For the existing provisions of clause (ii) of rule 6 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“Except in cases where a different cut-off date is specifically prescribed by the Aayog, the last date for receipt of online recruitment applications as indicated in the advertisement shall, for all intents and purposes, be considered the cut-off date for determining eligibility, including the acquisition of minimum qualifications, experience, improvement in qualifications, distinction in sports (including NCC), and any other attribute claimed by the candidate. Any such qualifications, experience, distinctions or other special attributes acquired after the said cut-off date shall not be considered or given any weightage.

Provided that the validity of the category certificate of candidates belonging to the OBC-NCL, BPL/EWS, Ward of Freedom Fighters category, etc., shall be determined with reference to both the prescribed closing date for submission of the Online Recruitment Application (ORA) and the date of document verification; meaning thereby that such candidates must possess a valid category certificate throughout the entire selection process.”

(ii)

For the existing provisions of clause (iv) of rule 6 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“The category of the candidate claimed in the ORA before he / she applies for the post shall be treated as final. In case the candidate has inadvertently filled his category wrongly in the ORA or his/ her category undergoes a change before the prescribed closing date for submission of online recruitment application through OTR portal of HPRCA then such candidate shall have to get his/her application modified by requesting the Aayog to that effect in writing. In such a

situation, the candidate shall have to deposit the differential amount of the application fees as is applicable for the category claimed by him/her. However, in cases where candidate finds out at any later stage that he/she has wrongly filled his category in the ORA or there is change of category which is beyond the control of the candidate at any stage during the recruitment process ; provided he/she has not availed any relaxed standards in terms of age, experience, qualification etc., he/she will inform about it in writing to the Aayog within 15 days after the conduct of screening test /CBT failing which no request shall be entertained by the Aayog. In such cases, if he/she has paid the examination fees as per the norms of reserved category then he/she will have to deposit the requisite fees. Decision of Aayog on his/her request to change the category shall be final.”

- (iii) For the existing provisions of clause (v) of rule 6 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-
 “The statutory certificates like Bonafide Himachali, SC, ST, WFF and legal heir issued on parentage basis on the prescribed format which are of permanent nature shall be acceptable to the Aayog. However, the certificates of OBC on parentage basis on the prescribed format and BPL/EWS also on the prescribed format issued by the competent authority shall be valid on the prescribed cut-off date for submission of online recruitment application as well as on the date of documents verification. The latest certificate issued by the competent authority along with self-undertaking stating that his/ her status has not been changed and he/she is not excluded from the category of OBC or EWS or BPL will have to be submitted by the candidate to the Aayog as and when asked by the Aayog as well as on the date of document verification.”
- (iv) For the existing provisions of clause (vi) of rule 6 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-
 “Since the eligibility of all provisionally admitted candidates will be adjudged/ checked on the day of document verification, therefore, the candidates are required to produce original certificates/ documents as proof in support of

their claims regarding age-limit, category, educational qualifications, experience etc. made in the online recruitment application. On the day of document verification as conveyed online, if any candidate fails to produce original certificate of his/her category of which he/she has made claim in the online recruitment application in addition to other original certificates with regard to his/her eligibility, he/she shall not be allowed to appear before the Document Verification Committee and his/her candidature shall stand automatically rejected.

In case of any doubt regarding the recognition of the institution from which the candidate has acquired the essential qualifications, the onus shall lie on the candidate to prove that the said institution is a recognized.”

- (v) For the existing provisions of clause (vii) (f(i)), (l), of rule 6 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted/deleted, namely:-

“A candidate at any stage of examination / selection which shall include final selection and sending recommendation(s) thereof or during the course of examination or any selection process conducted or being conducted may in addition to rendering himself/ herself liable to criminal prosecution under relevant laws(in the case of candidate already in service under Government, to disciplinary action and criminal prosecution under the appropriate rules and relevant laws) may be debarred from appearing in any examination for a period not exceeding 15 years, or his candidature may be cancelled at the discretion of the Aayog w.e.f. the date as may be decided by the Aayog, if he or she is found involved in the following:-

- f(i) Found making effort to obtain/ obtained copy of question paper through improper means;
l) Deleted.

- After the existing provisions of clause (k) of rule 6 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the new following sub-clauses (l), (m), (n), (o),
(vi) (p) and (q) shall be inserted, namely:-

“l) Attempts to temper with the hardware/software of the computer based device installed in the examination center for the conduct of CBT examination.

m) Attempts to hack the computer system or the server of the center/remote server connected with the conduct of CBT examination.

n) Attempts to tamper with the recorded response to the answer of questions given during CBT examination.

o) Found using any Bluetooth/Wi-Fi or any other electronic device/gadget to contact inside/outside the examination center.

p) Tampering or use of whitener/correction fluid on the OMR sheet to alter/add the answers of the questions.

q) Conspiring, attempting to commit, or abetting any of the acts specified in the foregoing clauses, whether directly or indirectly affecting the functioning or integrity of the Aayog;

**Amendment
rule 7**

of 7. (i)

For the existing provisions of clause (i) of rule 7 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“After receiving the requisition for making direct recruitment to the post(s) /service(s), an indicative advertisement (in brief) shall be published in at least two leading newspapers (one in Hindi and one in English) on a date to be decided by the Chairman and detailed advertisement shall be uploaded on the official website of the Aayog for inviting online recruitment applications (ORAs) from the desirous and eligible candidates through “One Time

Registration” (OTR) portal of HPRCA as per provisions of Service Rules, or on principles agreed to by the Aayog where there are no Service Rules in force at that time. Candidate shall upload all relevant documents/testimonials in support of his/her eligibility on the OTR portal of HPRCA. The detailed instructions regarding filling up of online application form shall be uploaded on the official website of the Aayog. The requisition(s) received upto the prescribed closing date for submission of online recruitment applications shall be included in the number of

posts initially advertised after notifying in the newspapers/ gazette.”

- (ii) For the existing provisions of clause (iii) of rule 7 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-
“The Aayog shall have power to club at any time before the closing date of advertisement, any post(s) having same essential qualification, nomenclature of the post as per R&P Rules.

Provided that the posts to be filled on regular basis and those meant for trainees, or for trainees only, in Government Departments, Public Sector Undertakings, Boards, Corporations, etc., shall not be clubbed together to avoid the compromise of merit due to non-joining.”

**Amendment
rule 8**

- of 8. (i) For the existing provisions of clause (c) of rule 8 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-
“The Online Recruitment Application (ORA), once submitted, may be permitted to be modified, including change of category, by the Aayog within a prescribed period after the closing date for submission of the ORA. Such modifications shall be subject to payment of a correction fee, as specified in the advertisement. In the event of a change of category, the differential amount of application fee, if any, shall also be required to be deposited for acceptance of such ORA. The opening and closing dates of the correction window shall be indicated in the advertisement.”

**Amendment
rule 9**

- of 9. (i) For the existing provisions of clause (ii) of rule 9 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-
“The examination fee, processing fee, correction charges or any similar fee/charges shall be determined by the Aayog. However, while prescribing the fee, due consideration shall be given to the instructions and guidelines issued by the State Government in this regard.”

- (ii) The existing provisions of clause (iii) of rule 9 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, following shall be deleted and the revised numbering of the exiting clause No. (v) shall be as clauses No. (iii).
- (iii) The existing provisions of clause (iv) of rule 9 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, following shall be deleted and the revised numbering of the exiting clause No. (vi) shall be as clause No. (iv).
- (iv) For the existing provisions of clause (vi) of rule 9 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely and the revised numbering of the exiting clauses No. (vi) to (xxiv) shall be as clauses No. (v):-

“The candidates of reserved categories of other States i.e. other than the Himachal Pradesh State, will be treated as General category candidates and the benefits of reservation and fee concession will not be admissible to such candidates.”

**Amendment
rule 10**

- 10. (i) For the existing provisions of clause (i) of rule 10 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-
“All desirous and eligible candidates shall be given minimum of 21 (twenty-one) days for submission of online applications through OTR portal of HPRCA. Each advertisement shall indicate closing date for submission of online recruitment applications through OTR portal. The online recruitment applications can be filled up by the desirous and eligible candidates till 11.59 P.M. of the prescribed closing date for submission of application through OTR portal of HPRCA after which the link will be disabled. However, in compelling circumstances, the date can be extended with the prior approval of the Chairman of the Aayog after recording the reasons for the same.”
- (ii) For the existing provision of clause (v) of rule 10 i.e. from the words “**On the** to **details:-**” of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024,

the following shall be substituted and the existing sub-clauses (a) to (e) shall remain intact, namely:-

“On the day, following the closing / last date prescribed for receipt of applications, an abstract under the headings indicated below shall be prepared by the branch concerned with the help of Nodal officer/ computer cell as per SOP/ job chart decided by the Aayog and will be submitted to the Secretary through e-office or otherwise for information along with following details: -“

- (iii) For the existing provisions of sub-clause (b) of clause (vi) of rule 10 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“The e-admit cards of the provisionally admitted candidates, indicating their category and other relevant particulars, shall be created and uploaded individually against their USER ID to be downloaded by the candidates. SMS alert / email shall also be sent to such candidate(s) on their mobile numbers and e-Mail. The candidate's information shall additionally be accessible through a QR code printed on the e-Admit Card.”

**Amendment
rule 11**

of

11. (i)

The existing provisions of clause (iv) of rule 11 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, following shall be deleted. The numbering of existing clauses i.e. 11 (v), (vi) & (vii) shall be renumbered as (iv), (v) & (vi).

(ii)

For the existing provisions of clause (vi) (now (v) as per (i) above) of rule 11 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“After the expiry of cut-off date notified for the receipt of applications two check lists of the candidates i.e. one of provisionally admitted candidates on the basis of requisite fee deposited by the candidates and other of rejected candidates on the grounds of non- payment or under payment of requisite fee will be prepared & printed by the official/ officer of concerned Recruitment Branch in physical as well in digital form as per SOP/ job chart decided by the Aayog. Only after scrutinizing the entire record properly by the Branch itself, the candidates shall be

			admitted provisionally to appear in the Preliminary Examination/ CBT/Written Screening Test or Skill test/Document Verification, as the case may be, on the basis of their claims made in the online recruitment application forms.”
Amendment rule 14	of	12. (i)	For the existing provisions of clause (i) of rule 14 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:- “If it is decided that a screening test or a written test preceded by screening test, is to be held then the examination centers will be selected keeping in view the number of candidates and their location, seating capacity, computer related infrastructure, internet, UPS, approach, suitability, furniture, staff, electricity, water and other relevant factors.”
		(ii)	For the existing provisions of clause (ii) of rule 14 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:- “Where the number of eligible candidates is less than the advertised posts, the Aayog shall determine and notify an appropriate criterion for selection.”

- (iii) For the existing provisions of clause (iii) of rule 14 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“Where the Aayog has infrastructure or can make arrangement, it may decide to conduct the written objective type screening test through online computer process.

Provided that the OMR test, computer based test, subjective written test and typing test, as the case may be, shall be conducted under the CCTV camera surveillance with both audio and video recording. The entry and exit points of the examination centers shall also be covered under CCTV surveillance. Live streaming of the conduct of examination shall be made available to the Chairman and Members of the Aayog, the Secretary, Deputy Secretary, Joint Controller, Under Secretary, Section Officer, and/or any other officer or official as may be decided by the Aayog. The CCTV recordings shall be preserved for a minimum period of one year.”

- (iv) For the existing provisions of clause (v) of rule 14 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“Once the date of examination and venue has been decided, the e-admit cards of provisionally admitted candidates shall be created and uploaded individually against their USER ID by the recruitment branch or service provider, as the case may be for downloading by them. SMS alert/email shall also be sent to such candidate(s) who submit their mobile numbers and email addresses. The Public Notice shall be published in two leading newspapers (one in Hindi & one in English) as well as on the website of the Aayog. No separate correspondence will be done in this regard.

- (v) For the existing provisions of clause (vii) of rule 14 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“The Controller/ Additional Controller of Examination of the Aayog shall maintain a panel of suitable and qualified person for getting the paper(s) set and evaluation thereof, himself/ herself or through other agency, as may be decided by the Aayog.”

- (vi) For the existing provisions of clause (viii) of rule 14 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“Controller/Additional Controller shall assist and coordinate in generation of encrypted/ printed question paper himself/ herself or through the other agency as may be decided and secrecy, accuracy and quality shall be ensured.”

- (vii) After the existing provisions of clause (ix) of rule 14 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following new sub-clause (ix-a) shall be inserted, namely:-

“The Chairman, Members, Officers, and Officials of the HPRCA, including employees of any outsourced agency entrusted with the conduct of the examination, or any other field agency, paper setters, evaluators, or third parties connected with the recruitment process—from the stage of advertisement until its conclusion—shall be required to submit a ‘No Relation Certificate’ to enable the Aayog to disassociate them from that particular selection process, if necessary.”

- (viii) For the existing provisions of clause (xi) of rule 14 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“The candidates having valid photo identity card shall be allowed to enter the examination center after verification of their e-admit cards through barcode/ QR code scanning and/or by way of Biometrics/iris scanning etc. as prescribed by the Aayog.”

- (ix) For the existing provisions of clause (xiv) of rule 14 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“Wherever number of candidates for a post is limited, the option of OMR based tests may be preferred by the Aayog in place of CBT.”

- (x) After the existing provisions of clause (xv) of rule 14 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following new clause (xv) shall be inserted, namely:-

“In case of OMR-based tests, Typing Skill Tests, Shorthand Tests, and Descriptive Written Examinations, the Centre Superintendent shall seal the answer sheets and related materials in tamper-evident envelopes/plastic sleeves, as per the Standard Operating Procedure (SOP) to be prescribed by the Aayog, in order to ensure the confidentiality of the examination.”

- (xi) After the existing provisions of rule 14 [clauses (i) to (xv)], of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following new rule 14-A {Conduct of written examinations for Persons with Benchmark Disabilities} and 14-B {Strong Room} shall be inserted, namely:-

“14-A - Conduct of written examinations for Persons with Benchmark Disabilities

i) *Subject to the guidelines issued by the Department of Social Justice and Empowerment, Government of Himachal Pradesh, from time to time regarding the conduct of written examinations for Persons with Benchmark Disabilities (PwBD), the facility of a scribe/reader/lab assistant and/or compensatory time shall be provided to candidates with benchmark disabilities falling under the categories of blindness, locomotor disability (both arms affected – BA), cerebral palsy, or any other permanent disability, involving physical limitations to read or write or attempt CBT/OMR-based tests, if such assistance is desired by the candidate. The candidate shall be required to apply in writing to the Aayog at least fifteen (15) days prior to the date of the examination, along with all requisite supporting documents.*

ii) This concession to persons with disabilities/benchmark disabilities shall be granted upon production of a valid disability/benchmark disability certificate, along with a certificate stating that the individual has a physical limitation to read or write or attempt a CBT or OMR-based test, and

that the assistance of a scribe/reader/lab assistant is essential for undertaking the examination. Such certificate must be issued by the Chief Medical Officer, Civil Surgeon, or Medical Superintendent of a Government healthcare institution, in the proforma prescribed by the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh.

- iii) The compensatory time shall be 20 minutes per hour of the examination and shall be increased or decreased on a pro-rata basis, depending on the actual duration of the examination.
- iv) The HPRCA may constitute a special examination center for candidates with disabilities/benchmark disabilities having the aforesaid physical limitations, in order to adequately address and accommodate their specific needs during the conduct of examination.
- v) A candidate with disability/ benchmark disability shall have the discretion to either arrange his/her own scribe/reader/lab assistant or make a request to the HPRCA for providing the same, sufficiently in advance of the scheduled examination. The HPRCA may, as per the requirements of the examination, identify and empanel suitable scribes/readers/lab assistants at the District, Divisional, or State level. In cases where the scribe/reader/lab assistant is arranged by the HPRCA, the candidate shall be allowed to meet the assigned person at least two days prior to the examination, to enable the candidate to verify the suitability of the individual.
- vi) In case a candidate is permitted to bring his/her own scribe/ reader/lab assistant, the qualification of such person shall be one level below the minimum educational qualification prescribed for the post for which the examination is being conducted. The candidate shall submit a list of three (03) proposed scribes/readers/lab assistants, along with their complete details and an undertaking in the prescribed proforma, at least fifteen (15) days prior to the date of the examination. The Aayog shall permit one out of the three, as deemed appropriate.
- vii) In the Online Recruitment Application (ORA), a separate column shall be provided for disclosure of benchmark disability, indicating the type and percentage of the disability, as well as the nature of physical limitation(s) for undertaking examination, if any.

14-B Strong Room

**Amendment
rule 15****of****13. (i)**

i) For the safe custody of examination material pertaining to OMR-based tests, Typing Skill Tests, Shorthand Tests, and Descriptive Written Examinations, as well as records related to results and CCTV recordings required to be preserved, a strong room shall be maintained under double-lock system and round-the-clock (24×7) CCTV surveillance with both audio and video recording, to ensure the confidentiality of the examination process.

ii) The Controller of Examination shall be the custodian of the strong room, and the second key shall remain with the officer authorized by the Aayog.

iii) The 24×7 live streaming of the CCTV surveillance system installed inside and outside the strong room, including its entry point, shall be made accessible to the Chairman and Members of the Aayog, the Secretary, Deputy Secretary, Joint Controller, Under Secretary, Section Officer, and/or any other officer or official as may be authorized by the Aayog. The CCTV recordings shall be preserved for a minimum period of one year.

(iv) The strong room shall be opened strictly in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) prescribed by the Aayog. A proper record of all entries, exits, and accessed materials shall be maintained, duly supported by the identification and signatures of the concerned persons. The Aayog may also conduct inspections of the strong room, as and when deemed necessary.”

For the existing provisions of clause (i) of rule 15 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“The Aayog will device and prescribe a mechanism/system for the evaluation of OMR sheets, answer sheets of written subjective test, typing tests, shorthand test, and responses of CBT through a software or through the other agency as decided by the Govt. Separate SOP shall be decided by the Aayog in consultation with the Department of Personnel to the GoHP.”

(ii) After the existing provisions of clause (ii) of rule 15 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following new clauses (iii), (iv) & (v) shall be inserted, namely:-

- (iii) After examination of the objections by the Expert Committee, the proposed amendments shall be published on the official dedicated window of the HPRCA to enable the candidates to know about the proposed changes. If no further objections are received within seven days of such publication, the key shall be deemed final for the purpose of evaluation.
- (iv) The evaluation of candidate's responses in the Computer Based Test, OMR-based test, subjective written examination, shorthand test, or typing test, as the case may be, shall be conducted under CCTV surveillance with both audio and video recording. Live streaming of the evaluation process shall be made available to the Chairman and Members of the Aayog, the Secretary, Deputy Secretary, Joint Controller, Under Secretary, Section Officer, and/or any other officer or official as may be decided by the Aayog. The CCTV recordings shall be preserved for a minimum period of one year.
- (v) In all subjective type answer sheets, including those of the shorthand and typing tests, fictitious roll numbers shall be affixed on the answer sheets by the Examination Branch of the HPRCA to maintain confidentiality and their further evaluation shall be carried out strictly in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) prescribed by the Aayog.

**Amendment
rule 16**

of 14. (i)

For the existing provisions of clause (i) of rule 16 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-
 “On the basis of evaluation of Written Screening Test/OMR Test/CBT, a merit list shall be prepared and in case of different reserved categories, the category-wise merit list shall be prepared. The candidates to be eligible and in the consideration zone, must secure at-least 45% marks in the case of general category candidates and 40% marks in the case of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Other Backward Classes/ Wards of Freedom Fighter candidate/ specially abled candidate. Those securing less than the prescribed marks will be disqualified and will not

be considered for the remaining selection process.

Provided that if the number of candidates securing the prescribed percentage of marks is less than the number of advertised posts, the Aayog may relax the qualifying percentage by a maximum of 5%, i.e., upto 40% for General category candidates and 35% for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Wards of Freedom Fighters, for reasons to be recorded in writing.”

- (ii) For the existing provisions of clause (iii) of rule 16 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“Where a type and shorthand test is an essential qualification, the candidate(s) will be required to undergo these tests for the prescribed speed.”

- (iii) For the existing provisions of clause (v) of rule 16 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

tion to various Group-C posts falling under the purview of the Aayog shall be made based on the merit of Multiple Choice Questions (MCQs) based examination, unless otherwise provided by the Aayog or the Recruitment Rules.

Provided that maximum number of eligible candidates for the Skill Test and/or written examination or Physical Efficiency Test (PET) who shall be eligible to appear in such examination based on number of posts advertised by the Aayog is as under;

- a) Candidates equal to five times the number of posts advertised, if the number is less than 30.
- b) 150 candidates if the number is between 30 and 40 both inclusive.
- c) Candidates equal to 4 times the number of posts advertised if the number is greater than 40.

Provided further that for the posts requiring stenography skills, the number of candidates to be called for the skill test may be up to twenty times the number of advertised posts.

Provided further that the maximum number of eligible candidates, if available, shall be called for document verification in such a manner as to enable the Aayog to recommend candidates for appointment and to maintain the required waiting panel.

Provided further that if the number of eligible candidates at the stage of final selection is found to be less than the number of advertised posts, the additional available candidates who are next in merit and have qualified the benchmark of minimum prescribed marks may be called for document verification, in order to fill up the maximum number of advertised posts.”

- (iv) For the existing provisions of clause (vi) of rule 16 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“Final order of merit shall be determined in accordance with highest marks secured in the CBT/OMR Test/Written Subjective Examination, as the case may be. In case the marks are equal, then the candidate who is older in age will be placed above the candidate younger in age. In case the age is also same then the candidate having more marks in the essential qualification will be placed above the candidate having less marks.”

- (v) After the existing provisions of clause (vii) of rule 16 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following new clauses (vii-a) shall be inserted, namely:-

“Notwithstanding anything contained in the reservation policy of the Government of Himachal Pradesh or any other law for the time being in force, if the number of eligible candidates is equal to the number of advertised posts, the Aayog shall consider any meritorious reserved category candidate against their own category in order to fill up the maximum number of vacancies.”

- (vi) For the existing provisions of clause (ix) of rule 16 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan

Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“While preparing the final result, a category-wise waiting list (Panel) shall be prepared as declared by the Aayog as under:

Waiting panel.

a) Where the number of advertised posts is upto 25 then @ 25% subject to minimum of two candidates.

b) Where the number of advertised posts is between 25 to 50 then @15% subject to minimum of seven candidates.

c) Where the number of advertised posts is above 50 then @10% subject to minimum of eight candidates.

Note: Any fraction shall be rounded off to next number.

The candidates placed in the waiting list/panel shall have no right to be appointed except when a selected/ recommended candidate does not join within/till the joining time. The waiting panel shall also be published on the website of the Aayog and will be in operation for one year from the date of sending recommendation of the Aayog to the concerned Appointing Authority.”

- (vii) For the existing provisions of clause (x) of rule 16 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-

“While declaring the final result, category-wise total marks obtained by selected candidates will also be shown. The marks obtained in the written screening/ descriptive test/ skill test/PET shall be shown separately. The roll numbers and names of the selected candidates shall be published in the order of merit, which shall determine their inter-se seniority in the respective employer department.”

		(viii)	For the existing provisions of clause (xii) of rule 16 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:- “The recommendation of selection shall be sent to the Requisitioning Authority by the Secretary of the Aayog, under intimation to the Aayog and result will also be displayed on the Notice Board and official website of HPRCA besides intimation to the individual candidates and uploading the same against their User IDs.”
Amendment rule 17	of	15. (i)	For the existing provisions of clause (ii) of rule 17 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:- “For the purpose of all judicial processes, the Aayog shall file the case or reply in the name of Secretary, HPRCA Hamirpur.”
		(ii)	For the existing provisions of clause (v) of rule 17 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:- “The Secretary with the permission of the Chairman can give instructions for analytical data or reports to be made immediately available to the Panel of Standing Counsel of the Aayog or Advocate General in a legal case in which Aayog is a party.”
		(iii)	After the existing provisions of clause (vii) of rule 15 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following new clauses (viii) shall be inserted, namely:- “The Aayog shall engage Advocate(s) at its own level to defend or represent it in the Courts, subject to the approval of the fee structure by the Department of Personnel, Government of Himachal Pradesh.”
Amendment rule 18	of	16. (i)	For the existing provisions of rule 18 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:- “All the Administrative matters shall be decided by the Secretary with the prior approval of the Chairman of Aayog.”

Amendment rule 19	of	17. (i)	For the existing provisions of clause (i) of rule 19 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:- “All the financial powers shall be vested with the Secretary of the Aayog who will exercise full power of Head of the Office in financial matters.”
		(ii)	For the existing provisions of clause (ii) of rule 19 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:- “As per provisions of relevant rules and instructions issued by the Government from time to time, the Secretary with the help of Joint Controller, HPF&AS will prepare the budget estimates based on current year estimates or revised estimates and the expenses incurred during the current financial year.”
		(iii)	For the existing provisions of clause (iv) of rule 19 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:- “Budget estimates so prepared shall be presented before the Chairman for approval at least 10 days before being sent to the Government. The Chairman, if deem necessary or appropriate, can make changes in the estimates.”
		(iv)	For the existing provisions of clause (v) of rule 19 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:- “Secretary shall make quarterly report to the Chairman for information and direction regarding the expenditure of the Aayog.”
Amendment rule 20	of	18. (i)	For the existing provisions of clause (i) of rule 20 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:- “The Secretary of the Aayog shall be the competent authority to make arrangement for procurement of goods and services subject to completion of all codal formalities as envisaged in the HP Financial Rules 2009, and other instructions issued by the Govt. from time to

time.”

- (ii) For the existing provisions of clause (ii) of rule 20 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-
“The tender/e-tender/Bids shall be invited by the Secretary after preparing tender documents with relevant terms & conditions.”
- (iii) For the existing provisions of clause (iii) of rule 20 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-
“The Tender Opening Committee/ Technical Committee of appropriate level shall be decided by the Secretary with the prior approval of the Chairman of Aayog.”
- (iv) For the existing provisions of clause (iv) of rule 20 of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur (Business and Procedure) Rules 2024, the following shall be substituted, namely:-
“All the contract agreements shall be signed by the Secretary of Aayog with prior approval of the Chairman.”

By order,

PROBODHSAXENA,
Chief Secretary.

ब अदालत श्री धर्मपाल, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

सुनीता देवी पुत्री श्री हरी कृष्ण, निवासी गांव व डाकघर सलोआ, ग्राम पंचायत भाखड़ा, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता,

2. प्रधान, ग्राम पंचायत भाखड़ा, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर।

विषय.—प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाखड़ा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सुनीता देवी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाखड़ा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाखड़ा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जोकि इस प्रकार से है:—

क्र० सं०	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	सुनीता देवी	पुत्री श्री हरी कृष्ण	05-11-1965

अतः ग्राम पंचायत भाखड़ा, तहसील श्री नैना देवी जी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 09-10-2025 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत भाखड़ा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 08-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(धर्मपाल हि०प्र०से०),
उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक),
श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)।

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

ब मुकद्दमा: श्री मोहमद अनस पुत्र श्री मोहमद युनस, निवासी मकान नं० 222, वार्ड नं० 10, नजदीक विश्वकर्मा मन्दिर, डियारा सैक्टर, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०)।

व

यासमीन पुत्री श्री सरीफ मोहमद, निवासी गांव व डाकघर तल्याणा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि०प्र० प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री मोहमद अनस पुत्र श्री मोहमद युनस, निवासी मकान नं० 222, वार्ड नं० 10, नजदीक विश्वकर्मा मन्दिर, डियारा सैक्टर, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०) व यासमीन पुत्री श्री सरीफ मोहमद, निवासी गांव व डाकघर तल्याणा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि०प्र० ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 05-04-2025 को व्यवस्थित विवाह मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार किया

है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 05-04-2025 को दर्ज करने बारा यदि कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-09-2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित हों। अन्यथा श्री मोहमद अनस पुत्र श्री मोहमद युनस, निवासी मकान नं0 222, वार्ड नं0 10, नजदीक विश्वकर्मा मन्दिर, डियारा सैक्टर, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व यासमीन पुत्री श्री सरीफ मोहमद, निवासी गांव व डाकघर तल्याणा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
45/NT/2025	नाम दुरुस्ती	11-08-2025	30-09-2025

श्री प्रवीण कुमार नाग पुत्र सजनू, वासी मोहाल जंगल खास, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र.—नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री प्रवीण कुमार नाग पुत्र सजनू, वासी मोहाल जंगल खास, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री प्रवीण कुमार नाग पुत्र सजनू, वासी मोहाल जंगल खास, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम मोहाल जंगल खास के राजस्व अभिलेख में प्रवीण कुमार पुत्र सजनू दर्ज है जबकि उसका सही नाम प्रवीण कुमार नाग पुत्र सजनू राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मोहाल जंगल खास के राजस्व अभिलेख में प्रवीण कुमार नाग पुत्र सजनू राम किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 30-09-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 15-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर 25/NT/2025	किस्म मुकद्दमा नाम दुरुस्ती	तारीख दायर 27-03-2025	तारीख पेशी 30-09-2025
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

श्री चन्द्र कान्त पुत्र उधम सिंह, वासी मोहाल पनेह अतरु, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र.—नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री चन्द्र कान्त पुत्र उधम सिंह, वासी मोहाल पनेह अतरु, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री चन्द्र कान्त पुत्र उधम सिंह, वासी मोहाल पनेह अतरु, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम मोहाल पौडियां के राजस्व अभिलेख में चन्द्र कान्त पुत्र उधम सिंह दर्ज है जबकि उसका सही नाम चन्द्र कान्त कश्यप पुत्र उधम सिंह है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मोहाल पौडियां खास के राजस्व अभिलेख में चन्द्र कान्त कश्यप पुत्र उधम सिंह किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 30-09-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भोटा, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

अशैम्प कुमार पुत्र नरेश कुमार, गांव व डाकघर करेर, उप-तहसील भोटा, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.—इन्तकाल मखफूद—उल—खबरी।

यह कि प्रार्थी अशैम्प कुमार पुत्र नरेश कुमार पुत्र माधो राम, गांव व डाकघर करेर, ग्राम पंचायत करेर, उप-तहसील भोटा, जिला हमीरपुर ने अधोहस्ताक्षरी के राजस्व न्यायालय में दरखास्त बाबत तस्दीक करने इन्तकाल मखफूद-उल-खबरी प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि उसके पिता नरेश कुमार पुत्र माधो राम पिछले 20-22 वर्षों से लापता है तथा उसका आज तक जीवित या मृत होने का कोई प्रमाण न है। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित किया है कि श्री नरेश कुमार मजकूर के नाम महाल करेर व रक्कड़, तप्पा पाहलू, उप-तहसील भोटा, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसके लिए मुताबिक पटवारी रिपोर्ट उनके जायज वारसान अशैम्प कुमार पुत्र श्रीमती श्वेता कुमारी पुत्री व श्रीमती प्रोमिला पत्नी नरेश कुमार पुत्र माधो राम दर्ज कागजात माल किये जाने हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी एतराज हो या उसके जीवित होने बारे किसी को कोई जानकारी हो या श्री नरेश कुमार पुत्र माधो राम जीवित है और इस इश्तहार को स्वयं पढ़े तो वह दिनांक 21-10-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर असालतन/वकालतन अभिकर्ता अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा अवधि के पश्चात् नियमानुसार इन्तकाल मखफूद-उल-खबरी दर्ज कर तस्दीक करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 17-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भोटा, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

विशम्बरी देवी पुत्री रण सिंह, वासी महाल भगीण, मौजा सुनहेत, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

समस्त आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

नोटिस (मुश्री मुनादी) बनाम आम जनता।

प्रार्थिया विशम्बरी देवी पुत्री रण सिंह, वासी महाल भगीण, मौजा सुनहेत, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 01-01-1948 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो व प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति/एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

मदन लाल पुत्र लटू राम, वासी महाल डिडू, मौजा पाईसा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

समस्त आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

नोटिस (मुश्री मुनादी) बनाम आम जनता।

प्रार्थी मदन लाल पुत्र लटू राम, वासी महाल डिडू, मौजा पाईसा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 26-01-1961 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो व प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति/एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 07/2025

किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 14-10-2025

कुमारी साक्षी राणा पुत्री श्री अजय कुमार, निवासी गांव मैले, डाकघर मुण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मुण्डी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना—पत्र।

इशतहार अखबारी व मुश्री मुनादी।

कुमारी साक्षी राणा पुत्री श्री अजय कुमार, निवासी गांव मैले, डाकघर मुण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मुण्डी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपने पिता के माध्यम से इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 24-06-2008 को गांव मैले, डाकघर मुण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मुण्डी में हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत मुण्डी को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुश्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 24-06-2008 के पंजीकरण बारे

कोई उजर एवं एतराज हो तो असालतन या वकालतन तारीख पेशी 14-10-2025 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त कुमारी साक्षी की जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत मुण्डी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12-09-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार इन्दौरा, तहसील इन्दौरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं० : /TEH/2025

तारीख दाखिल : 22-08-2024

अरपना चौधरी पुत्री वतन सिंह, निवासी गांव बडुखर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

मुश्त्री मुनादी।

उपरोक्त मिसल नाम दुरुस्ती बारे अदालत हजा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार इन्दौरा में विचाराधीन है। उक्त मिसल में प्रार्थिया अरपना चौधरी पुत्री वतन सिंह, निवासी गांव बडुखर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व महाल बडुखर में अलपना चौधरी दर्ज है जबकि प्रार्थिया का नाम अरपना चौधरी है जिसे प्रार्थिया अल्पना चौधरी की बजाये अल्पना चौधरी उपनाम अरपना चौधरी पुत्री वतन सिंह करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के बारे में यदि किसी को उजर/एतराज है तो वह 21-10-2025 को असालतन/वकालतन अदालत हजा में पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार इन्दौरा, तहसील इन्दौरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं० : /TEH/2025

श्री मोहन लाल पुत्र रतन चन्द, निवासी गांव उपरली वण्ड, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)
प्रार्थी।

बनाम
आम जनता प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

मुशत्री मुनादी।

उपरोक्त मिसल नाम दुरुस्ती बारे अदालत हजा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार इन्दौरा में विचाराधीन है। उक्त मिसल में प्रार्थी श्री मोहन लाल पुत्र रतन चन्द, निवासी गांव उपरली वण्ड, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) का नाम राजस्व महाल उपरली वण्ड में सोहन लाल दर्ज है जबकि प्रार्थी का नाम मोहन लाल है जिसे प्रार्थी सोहन लाल की बजाये सोहन लाल उपनाम मोहन लाल पुत्र रतन चन्द करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुशत्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के बारे में यदि किसी को उजर/एतराज है तो वह 06-10-2025 को असालतन/वकालतन अदालत हजा में पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : /2025

Mr. Naresh Kumar s/o Sh. Banshi Lal @ Balam Chand, r/o Ward No. 03, Village Upper Gamru & P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public
2. The Commissioner-cum-Registrar Birth and Death, MC Dharamshala
3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr. Naresh Kumar s/o Sh. Banshi Lal @ Balam Chand, r/o Ward No. 03, Village Upper Gamru & P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.). ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता जी की मृत्यु दिनांक 03-11-1998 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Late Smt. Veena Devi w/o Banshi Lal alias Balam Chand की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 13-10-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, मण्डी, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 : 33/2025

तारीख मजरूआ :

तारीख पेशी : 17-10-2025

प्रेम लता पत्नी स्व0 श्री कृष्ण कुमार, निवासी मकान नं0 291/13, सौली खड्ड मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37 ता 40 भू-राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत मुहाल चतरोट के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

प्रेम लता पत्नी स्व0 श्री कृष्ण कुमार, निवासी मकान नं0 291/13, सौली खड्ड मण्डी, तहसील मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि प्रार्थिया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में मेहश है आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड, मुहाल कुठैहड की भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पति का नाम कृष्ण कुमार दर्ज है। जिसे मुहाल चतरोट के राजस्व रिकार्ड में कृष्ण कुमार दुरुस्त किए जाने बारे आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थिया के पति का नाम राजस्व मुहाल के रिकार्ड में कृष्ण कुमार दुरुस्त करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 17-10-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक या इससे पूर्व उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा उक्त नाम को दुरुस्त किए जाने बारे आदेश कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 17-09-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी
तहसील मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

माला देवी पुत्री स्व0 श्री ईन्दर सिंह थापा, निवासी शमशेरपुर कैंट एरिया, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार/नोटिस।

प्रार्थिया माला देवी पुत्री स्व0 श्री ईन्दर सिंह थापा, निवासी शमशेरपुर कैंट एरिया, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-6938, दिनांक 30-09-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगरपालिका नाहन, दसवीं प्रमाण-पत्र, रिपोर्ट पार्षद, राशन कार्ड एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म दिनांक 03-03-1974 को हुआ है, जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सके हैं। परन्तु अब वह अपनी जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 16-10-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया माला देवी पुत्री स्व0 श्री ईन्दर सिंह थापा की जन्म तिथि 03-03-1974 नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 16-09-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोन्हाट,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

ब मुकद्दमा :

श्री बबलू पुत्र श्री बिनी राम, निवासी ग्राम गुजरोट, ग्राम पंचायत अजरोली, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता, निवासी ग्राम गुजरोट, ग्राम पंचायत अजरोली, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बबलू पुत्र श्री बिनी राम, निवासी ग्राम गुजरोट, ग्राम पंचायत अजरोली, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-6954, दिनांक 30-08-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी पुत्री वृन्दा की जन्म तिथि 04-03-2011 को ग्राम पंचायत अजरोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में मय हल्फिया ब्यान प्रपत्र 10, आधार कार्ड, परिवार नकल इत्यादि संलग्न किया है तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री बबलू पुत्र श्री बिनी राम, निवासी ग्राम गुजरोट, ग्राम पंचायत अजरोली की पुत्री वृन्दा की जन्म तिथि 04-03-2011 को ग्राम पंचायत अजरोली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 11-10-2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री वृन्दा की जन्म तिथि 04-03-2011 को ग्राम पंचायत अजरोली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीपाल को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 11-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं० : 12/2025

तारीख मरजुआ : 10-09-2025

श्री जगदीश चन्द्र पुत्र रामदत्त व विद्या देवी, निवासी कनोगटा, ग्राम पंचायत सेर जगास, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इशतहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्री जगदीश चन्द्र पुत्र रामदत्त व विद्या देवी, निवासी कनोगटा, ग्राम पंचायत सेर जगास, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9(3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सेर जगास में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसका जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म तिथि पंचायत के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकी। आवेदक के अनुसार उसका जन्म दिनांक 18-12-1971 को हुआ है। सायल ने ग्राम पंचायत सेर जगास के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जगदीश चंद पुत्र रामदत्त व विद्यादेवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सेर जगास में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो इस इशतहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं सचिव ग्राम पंचायत सेर जगास को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-09-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)**

मिसल नं० : 14/2025

तारीख मरजुआ : 10-09-2025

श्री सुनील पुत्र केशवा, निवासी कनोग धण्डडेल, ग्राम पंचायत शिलांजी, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इशतहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्री सुनील पुत्र केशवा, निवासी कनोग धण्डडेल, ग्राम पंचायत शिलांजी, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9(3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपने पुत्र अभिषेक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिलांजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र का जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म तिथि पंचायत के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकी। आवेदक के अनुसार उसके पुत्र अभिषेक का जन्म दिनांक 19-08-2008 को हुआ है। सायल ने ग्राम पंचायत शिलांजी के पंजीकरण पंजी में अपने पुत्र की जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अभिषेक पुत्र सुनील व उषा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिलांजी में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो इस इशतहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा

रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं सचिव ग्राम पंचायत शिलांजी को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-09-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं० : 13/2025

तारीख मरजुआ : 10-09-2025

श्री सुनील पुत्र केशवा, निवासी कनोग धण्डडेल, ग्राम पंचायत शिलांजी, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इशतहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्री सुनील पुत्र केशवा, निवासी कनोग धण्डडेल, ग्राम पंचायत शिलांजी, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9(3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपने पुत्र रमन की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिलांजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र का जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म तिथि पंचायत के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकी। आवेदक के अनुसार उसके पुत्र रमन का जन्म दिनांक 23-03-2010 को हुआ है। सायल ने ग्राम पंचायत शिलांजी के पंजीकरण पंजी में अपने पुत्र की जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को रमन पुत्र सुनील व उषा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिलांजी में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो इस इशतहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत करे। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं सचिव ग्राम पंचायत शिलांजी को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-09-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दुरुस्ती नाम :

मिसल दुरुस्ती नाम जेर धारा 37 हि0प्र0 भू0रा0अ0नि0 1954 वाका मौजा खाली अच्छोण, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब मुकदमा: स्वरूप सिंह पुत्र शुपा राम आदि।

बनाम

आम जनता

1. श्री स्वरूप सिंह पुत्र शुपा राम, निवासी खाली अच्छोण, तहसील पांवटा साहिब।

प्रार्थी श्री स्वरूप सिंह पुत्र शुपा राम, निवासी खाली अच्छोण, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें वादी स्वरूप सिंह पुत्र शुपा राम ने अपने भाई जिसका नाम मामराज पुत्र शुपा राम है, से एक बेटा जिसका नाम अक्षय है, को गोद लिया है। वादी अक्षय पुत्र मामराज की जगह अक्षय पुत्र स्वरूप सिंह करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-09-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असातन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में अक्षय पुत्र मामराज, निवासी खाली अच्छोण, तहसील पांवटा साहिब तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 12-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Neera d/o Late Sh. Madan Lal, r/o H. No. 421/11, Valmiki Basti, Nahan, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Riya (Old Name) to Rashi (New Name) which needs to be corrected in her Aadhar No. 276389551744. All concerned please note.

NEERA
d/o Late Sh. Madan Lal,
r/o H. No. 421/11,
Valmiki Basti, Nahan, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sanju s/o Sh. Mani Ram, r/o Village Gowai, P.O. Sandhu, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.)-171222 hereby declare that the name of my son Arav (Old Name) has been changed to Kartik Rawat (New Name). All concerned are requested to take note of this change.

SANJU
s/o Sh. Mani Ram,
r/o Village Gowai, P.O. Sandhu,
Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sudhir Sharma s/o Sh. Salig Ram, Shili (52), Shimla (H.P.)-171204 declare that my son's name is Kritansh Sharma (Old Name) that I have changed name of my son from Kritansh Sharma (Old Name) to Karan Sharma (New Name). All concerned please note.

SUDHIR SHARMA
s/o Sh. Salig Ram,
Shili (52), Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Suma Devi d/o Sh. Amaru & w/o Sh. Baldev Singh, r/o Village Khud, P.O. Jarag, Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.) declare that my name has been wrongly recorded as Soma Devi in the certificates issued by the H.P. Board of School Education of my son Pankaj Kumar. My correct name is Suma Devi. All concerned please to note & correct my name as Suma Devi.

SUMA DEVI
d/o Sh. Amaru & w/o Sh. Baldev Singh,
r/o Village Khud, P.O. Jarag,
Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shaikh Ahmad, Ward No. 5, House No. 155, Tehsil Una, Mehatpur, Una (H.P.) have changed my minor daughter's name from Humera Tabasum to Humera Shaikh.

SHAIKH AHMAD,
Ward No. 5, House No. 155,
Tehsil Una, Mehatpur Una (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sarita Devi w/o Sh. Punesh Kumar, r/o Village Benchi, P.O. Raison, Tehsil & District Kullu (H.P.) declare that I want to correct my name Sarita Devi in place of Sarita Thakur in my son Armaan Thakur's CBSE Matric Certificate.

SARITA DEVI,
w/o Punesh Kumar
r/o Village Benchi, P.O. Raison,
Tehsil & District Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manohar Lal, s/o Sh. Niku Ram, r/o Village Salon, P.O. Gunah Kalan, Tehsil Ramshehar, District Solan (H.P.) declare that the correct name of my son is Yash Kumar. But the name is written as Yesh Kumar in the Aadhar Card No. 9711 9901 3136. I want to correct my son's name as Yash Kumar in Aadhar Card.

MANOHAR LAL,
s/o Sh. Niku Ram,
r/o Village Salon, P.O. Gunah Kalan,
Tehsil Ramshehar, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Gurdev Singh s/o Sh. Jagat Ram, r/o Village Jagli, P.O. Mittian, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) declare that the correct name of my son is Yuvraj. But the name is written as Yog Raj in the Aadhar Card No. 4673 4860 0342. I want to correct my son's name as Yuvraj in Aadhar Card.

GURDEV SINGH
s/o Sh. Jagat Ram,
r/o Village Jagli, P.O. Mittian,
Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shailender Sharma (48) s/o Sh. Mehar Chand, r/o Village Henja, P.O. Bhawarna, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that my name has been wrongly entered in my service record as Shailender Singh in place of Shailender Sharma and my wife's name is wrongly entered as Sonu Sharma in place of Sonu Devi. My correct name is Shailender Sharma and my wife's correct name is Sonu Devi.

SHAILENDER SHARMA
s/o Sh. Mehar Chand,
r/o Village Henja, P.O. Bhawarna,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Simra Devi (74) w/o Sh. Pratap Singh, r/o Village Chambi, P.O. Sanghole, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.) hereby inform that my name has been wrongly recorded as Simro Devi in my Aadhar and PAN Card. My correct name as per service record of my husband is Simra Devi. All concerned please note.

SIMRA DEVI
w/o Sh. Pratap Singh,
r/o Village Chambi, P.O. Sanghole,
Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Het Ram s/o Sh. Jeeva Nand, r/o Village Chamog, P.O. Karsog, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from fch to Pragya. Concerned note it.

HET RAM
s/o Sh. Jeeva Nand,
r/o Village Chamog, P.O. Karsog,
Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Pardeep Kumar s/o Late Shri Gurdass, r/o Village Sanei, P.O. Dansa, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.) declare that in my daughter's Aadhar Card her name is wrongly entered as Ainee which is required to be corrected as Anni. Please correct this.

PARDEEP KUMAR
s/o Late Shri Gurdass, r/o Village Sanei,
P.O. Dansa, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sumedha Devi d/o Sh. Hem Chand, w/o Sh. Joginder, r/o Village Panewali, P.O. Madhavani, Sub-Tehsil Kotgarh, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Sumedha Devi to Reeta Devi. All concerned please note.

SUMEDHA DEVI
d/o Sh. Hem Chand, w/o Sh. Joginder, r/o Village Panewali,
P.O. Madhavani, Sub-Tehsil Kotgarh, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Veeru Singh s/o Sh. Tek Singh, r/o Ward No. 3, Bypass Sabji Mandi, Solan, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Bir Singh to Veeru Singh. Concerned please note.

VEERU SINGH
*s/o Sh. Tek Singh, r/o Ward No. 3,
Bypass Sabji Mandi, Solan,
Tehsil & Distt. Solan (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Rajvi Chauhan d/o Sh. Rajinder Singh Chauhan, r/o Village Chamaru, P.O. Paraonthi, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.) declare that in my School and university record my name is wrongly entered as Rajvi Majta. Please correct it as Rajvi Chauhan.

RAJVI CHAUHAN
*d/o Sh. Rajinder Singh Chauhan, r/o Village Chamaru,
P.O. Paraonthi, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Rakesh Kumar s/o Sh. Hari Nath, r/o Village Takwas, P.O. Killer, Tehsil Pangi, Distt. Chamba (H.P.) declare that name of my daughter (minor) has been wrongly entered as Jeeya Sharma in her Aadhar Card. This should be corrected as Jeevika Sharma. All concerned note.

RAKESH KUMAR
*s/o Sh. Hari Nath, r/o Village Takwas,
P.O. Killer, Tehsil Pangi, Distt. Chamba (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Kamla w/o Sh. Vivek, r/o Village Matando, P.O. Deothi, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Lakshmi Saha to Laxmi Saha. Please note all concerned for further.

KAMLA
*w/o Sh. Vivek, r/o Village Matando,
P.O. Deothi, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Anuradha w/o Sh. Chandan Gurung, r/o Village Rundun Ghoron (800), P.O., Tehsil & Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Urwarshi Gurung to Urwashi Gurung. Please note all concerned for further.

ANURADHA
*w/o Sh. Chandan Gurung, r/o Village Rundun Ghoron (800),
P.O., Tehsil & Distt. Solan (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Ritanshu s/o Sh. Deva Nand, r/o Village Bhumteer, P.O. Bharai, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) declare that I have changed my name from Gitanshu to Ritanshu for all future purposes. Concerned note it.

RITANSHU
*s/o Sh. Deva Nand, r/o Village Bhumteer,
P.O. Bharai, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Mohan K.C s/o Sh. Man Bahadur, r/o H. No. 48, Village & P.O. Basal, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Mohan K.C to Mohan Khatri. Please note all concerned for further.

MOHAN K.C
*s/o Sh. Man Bahadur, r/o H. No. 48,
Village & P.O. Basal, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Katkar Sachin Balaso s/o Sh. Balaso Katkar, r/o 268 Pohale Turf Alate, Pohale Turf Alate, Malwadi, Pohale Turf Alate, Kohalpur, Maharashtra-416229 at present Q. No. P1/3, 28/1 Camp, Yol Cantt., Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. declare that I have changed the name of my son from Swayam Katkar to Swayam Sachin Katkar. That, today onwards name of my son will be noted as Swayam Sachin Katkar in all the official and regular usage. Concerned please note.

KATKAR SACHIN BALASO
*s/o Sh. Balaso Katkar, r/o 268 Pohale Turf Alate,
Pohale Turf Alate, Malwadi, Pohale Turf Alate,
Kohalpur, Maharashtra-416229 at present Q. No. P1/3,
28/1 Camp, Yol Cantt., Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Rakesh Chauhan s/o Sh. Padam Singh, r/o Village Tikar, P.O Basadhar, Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.) declare that my son's name is Hani (Old Name). That I have changed name of my son from Hani (Old Name) to Honey Chauhan (New Name). All concerned please note.

RAKESH CHAUHAN
*s/o Sh. Padam Singh, r/o Village Tikar,
P.O Basadhar, Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Dhan Bahadur Gurung (New Name) s/o Sh. Tula Ram, Dharonk (149), Kokunala, Shimla, Himachal Pradesh-171202 declare that I have changed my name from Dhan Bahadur (Old Name) to Dhan Bahadur Gurung (New Name). All concerned please note.

DHAN BAHADUR GURUNG
*s/o Sh. Tula Ram, Dharonk (149),
Kokunala, Shimla, Himachal Pradesh-171202.*

CHANGE OF NAME

I, Sarjan Bahadur Dangi (New Name) c/o Partap, Kothi, Himri (11), P.O. Himri, Distt. Shimla, Himachal Pradesh-171202 declare that I have changed my name from Sanjeev (Old Name) to Sarjan Bahadur Dangi (New Name). All concerned please note.

SARJAN BAHADUR DANGI
*c/o Partap, Kothi, Himri (11), P.O. Himri,
Distt. Shimla, Himachal Pradesh-171202*